UPAG010009032026

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, न्यायालय संख्या–05, आगरा।

पीठासीन अधिकारी–विराट कुमार श्रीवास्तव (उच्चतर न्यायिक सेवा)–UP01728

दाण्डिक निगरानी संख्या–54/2026

शकील अहमद पुत्र जमीलउद्दीन, निवासी थाने के पास खन्दौली, थाना खन्दौली, जिला आगरा उम्र करीब 53 वर्ष प्रोपराइटर कामिल कोल्ड स्टोरेज पता – बिजलीघर के पास उजरई, थाना खन्दौली, जिला आगरा।

.....निगरानीकर्ता

बनाम

1. उत्तर प्रदेश राज्य
2. ओम प्रकाश कुशवाह पुत्र श्री तेज सिंह कुशवाह, निवासी टी.एस. सुपर मार्केट, नगला आशा, नन्दलालपुर, थाना खन्दौली, जिला आगरा।

.....विपक्षीगण

निर्णय

यह दाण्डिक निगरानी, निगरानीकर्ता द्वारा विपक्षीगण के विरूद्ध योग्य विचारण न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, न्यायालय संख्या–09, आगरा द्वारा परिवाद संख्या–3844/2025 शकील अहमद बनाम ओम प्रकाश कुशवाह, अन्तर्गत धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम के प्रकरण में पारित आदेश दिनांकित 01.12.2025 के विरूद्ध योजित की गयी है। उक्त आदेश के माध्यम से योग्य विचारण न्यायालय द्वारा परिवादी के परिवाद को अन्तर्गत धारा–226 बी.एन.एस.एस. खारिज किया गया है।

निगरानीकर्ता द्वारा निगरानी में किये गये कथन सारतः इस प्रकार हैं कि प्रकरण में विपक्षी द्वारा निगरानीकर्ता को एक चेक संख्या–681515 केनरा बैंक, शाखा रामनगर, खन्दौली, आगरा दिनांकित 06.01.2025 मुवलिग 3,10,835/–रूपये दायित्व के अधीन प्रदान किया गया, जो अनादरित होकर वापस आ गया, जिसका नोटिस निगरानीकर्ता ने विपक्षी को भिजवाया और चेक में वर्णित धनराशि वापस न किये जाने पर विपक्षी संख्या–2 के विरूद्ध विचारण न्यायालय में परिवाद प्रस्तुत किया,

जिसमें विपक्षी उपस्थित नहीं हुआ तथा विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा सुनवाई की गयी। विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा भिन्नता दर्शाते हुये उपरोक्त परिवाद को प्रस्तुत साक्ष्य धारा–223 बी.एन.एस.एस. व धारा–225 बी.एन.एस.एस. के तहत प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर विपक्षी के द्वारा प्रथम दृष्टया कोई अपराध कारित किया जाना प्रतीत न होने, अतः इस स्तर पर विपक्षी को तलब किये जाने हेतु पर्याप्त साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध न होने का मत व्यक्त करते हुये परिवाद धारा–226 बी.एन.एस.एस. के तहत निरस्त कर दिया। विद्वान विचारण न्यायालय का आदेश दिनांक 01.12.2025 विधि विरूद्ध एवं त्रुटिपूर्ण तथा विधि के प्राकृतिक सिद्धान्तों के विरूद्ध है। विद्वान विचारण न्यायालय ने आदेश पारित करते समय अपने विधिक मस्तिष्क का प्रयोग नही किया और यंत्रवत आदेश पारित किया है। विद्वान विचारण न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का सम्यक परिशीलन न करते हुये निगरानीकर्ता को साक्ष्य में विरोधाभास होने का आधार लेते हुये प्रश्नगत आदेश पारित किया है, जो गुणदोष के आधार पर पारित नही किया गया है। उक्त आदेश मात्र निगरानीकर्ता को साक्ष्य में विरोधाभास होने के आधार पर पारित किया गया है। उक्त आधार पर निगरानीकर्ता द्वारा प्रश्नगत आदेश अपास्त करते हुए निगरानी को स्वीकार किये जाने की याचना की गयी है।

विपक्षी संख्या–01 की ओर से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता, दाण्डिक द्वारा मौखिक आपत्ति करते हुए मुख्यतः यह तर्क प्रस्तुत किया गया है विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध तथ्य तथा साक्ष्य के अनुरूप विधि सम्मत आदेश पारित किया गया है, उक्त आदेश में कोई अवैधानिकता नहीं है। अतः उक्त आधार पर निगरानी खारिज किये जाने की याचना की गयी है।

विपक्षी संख्या–2 की ओर से निगरानी के विरूद्ध 9ब आपत्ति प्रस्तुत करते हुये सारतः कथन किया गया है कि विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश में कोई विधिक त्रुटि नही है। निगरानीकर्ता द्वारा विचारण न्यायालय में उक्त परिवाद में प्रश्नगत चेक संख्या–681514 मुवलिग 2,75,461/–रूपये, दिनांक 06.01.2025 केनरा बैंक, शाखा रामनगर, खन्दौली, आगरा के तथ्य अंकित करते हुये वाद प्रस्तुत किया गया है एवं साक्ष्य शपथ पत्र अन्तर्गत धारा–223 बी.एन.एस.एस. में भी उपरोक्त चेक के सम्बन्ध में शपथ पत्र प्रस्तुत किया है, जबकि साक्ष्य अन्तर्गत धारा–225 बी.एन.एस.एस. के तहत सूची के माध्यम से विधिक नोटिस श्री दिनेश कुमार अग्रवाल, एडवोकेट दिनांकित 22.01.2025 चेक संख्या–681515 मुवलिग 3,10,835/–रूपये दिनांकित 06.01.2025 बैंक मीमो संलग्न किया गया है। विचारण

न्यायालय द्वारा पत्रावली पर वाद पत्र से सम्बन्धित साक्ष्य व चेक उपलब्ध ना होने के कारण वाद को निरस्त किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि नही है। विचारण न्यायालय की पत्रावली पर वाद पत्र से सम्बन्धित साक्ष्य एवं प्रश्नगत चेक न होने के आधार पर निगरानी खारिज किये जाने की याचना की गयी है।

निगरानीकर्ता की ओर से प्रलेखीय साक्ष्य के रूप में परिवाद संख्या–3844/2025 शकील अहमद बनाम ओम प्रकाश कुशवाह में पारित आदेश दिनांकित 01.12.2025 की सत्य प्रतिलिपि कागज संख्या–5ब/1 ता 5ब/2 प्रस्तुत की गयी है।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण को पूर्व में सुना जा चुका है। वर्तमान पत्रावली तथा योग्य विचारण न्यायालय से आहूत पत्रावली का अवलोकन किया।

विचारण न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि निगरानीकर्ता/परिवादी द्वारा परिवाद अन्तर्गत धारा–138 परक्राम्य लिखत अधिनियम प्रत्यर्थी/अभियुक्त के विरूद्ध प्रस्तुत करते हुये सारतः यह कथन किया गया कि विपक्षी संख्या–2 द्वारा बकाया धनराशि 5,86,296/–रूपये के भुगतान स्वरूप दो चेक, 6818514 मुवलिग 2,75,461/–रूपये दिनांकित 06.01.2025 तथा चेक संख्या–6818515 मुवलिग 3,10,835/–रूपये दिनांकित 06.01.2025 परिवादी को प्राप्त कराये थे। चेक संख्या–6818514 मुवलिग 2,75,461/–रूपये दिनांकित 06.01.2025 पर्याप्त धनराशि के अभाव की टिप्पणी के साथ अनादृत हो गया। तदोपरान्त अपेक्षित विधिक नोटिस दिये जाने के बाद भी अभियुक्त द्वारा चेक की धनराशि परिवादी को अदा नहीं की गयी। परिवादी की ओर से परिवाद के समर्थन में प्रस्तुत किये गये परिवादी के शपथ पत्र, बयान अन्तर्गत धारा–200 द0प्र0सं0, चेक, बैंक मीमो, बैंक रसीद, डाक रसीद, नोटिस की प्रति का उल्लेख करते हुये योग्य विचारण न्यायालय द्वारा प्रश्नगत आदेश दिनांकित 01.12.2025 में परिवादी द्वारा प्रस्तुत किये गये परिवाद में वर्णित चेक व सम्बन्धित धनराशि तथा प्रलेखीय साक्ष्य में प्रस्तुत चेक व सम्बन्धित धनराशि में भिन्नता होने का मत व्यक्त करते हुये परिवाद खारिज किये जाने का आदेश पारित किया गया है, जिससे क्षुब्ध होकर यह निगरानी प्रस्तुत की गयी है।

पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि निगरानीकर्ता/परिवादी द्वारा अपने परिवाद में चेक संख्या–681514 व 681515 दोनों ही विपक्षी द्वारा परिवादी को बकाया भुगतान हेतु प्राप्त कराये जाने के आशय का कथन किया गया है। प्रस्तुत

प्रकरण में परिवादी द्वारा परिवाद में किये गये कथन से स्पष्ट है कि परिवादी चेक संख्या–681514 के अनादरण के सापेक्ष परिवाद के प्रचालन का इच्छुक रहा है तथा उसने चेक संख्या–681515 के अनादरण के सापेक्ष कोई कथन नही किया है। उल्लेखनीय है कि परिवादी ने सूची सबूत कागज संख्या–7ब के माध्यम से चेक संख्या–681515 व सम्बन्धित धनराशि के भुगतान सम्बन्धी मांग नोटिस की प्रति, उपरोक्त चेक संख्या–681515 की मूल प्रति एवं तत्सम्बन्धी बैंक प्रपत्र की प्रति प्रस्तुत की गयी है, जबकि यह अपेक्षित था कि परिवादी द्वारा चेक संख्या–681514 के अनादरण सम्बन्धी प्रलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत किया जाता।

इस प्रक्रम पर यह विशेषतया उल्लेखनीय होगा कि चेक संख्या–681514 के अनादरण सम्बन्धी प्रचालित रहे परिवाद संख्या–3840/2025 शकील अहमद बनाम ओम प्रकाश कुशवाह थाना खन्दौली अन्तर्गत धारा–138 एन.आई.एक्ट में पारित किये गये आदेश दिनांकित 01.12.2025 के विरूद्ध योजित निगरानी भी इसी न्यायालय में निगरानी संख्या–55/2026 के रूप में प्रचलित है। निगरानी संख्या–55/26 में भी सम्बन्धित परिवाद की मूल पत्रावली आहूत कर संलग्न की गयी है। परिवाद संख्या–3840/2025 की पत्रावली तथा वर्तमान निगरानी में संलग्न परिवाद संख्या–3844/2025 की पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि उपरोक्त दोनों परिवाद एक ही न्यायालय में लम्बित रहे हैं। उपरोक्त दोनों प्रकरणों में एक ही तिथि दिनांक 01.12.2025 को निस्तारण आदेश भी पारित किया गया है। परिवाद संख्या–3840/2025 की पत्रावली के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि उपरोक्त परिवाद में चेक संख्या–681515 के अनादरण के सापेक्ष कथन किये गये हैं तथापि प्रलेखीय साक्ष्य में चेक संख्या–681514 के अनादरण के सम्बन्ध में प्रलेख एवं मूल चेक प्रस्तुत किया गया है। इस प्रकार यह स्पष्ट होता है कि समान पक्षकारों के मध्य एक ही कोटि के दो विभिन्न परिवाद में त्रुटिवश एक परिवाद का प्रलेख दूसरे परिवाद में संलग्न हो गया है। यह पुनः उल्लेखनीय है कि उपरोक्त दोनों परिवाद एक ही न्यायालय में लम्बित रहे हैं, जिसमें पक्षकार एवं परिवाद की प्रकृति समान है।

प्रत्येक न्यायिक आदेश का उद्देश्य न्याय की पूर्ति ही होना चाहिए तथा शीघ्र न्याय/निस्तारण को दृष्टिगत रखते हुये उपरोक्त कोटि की त्रुटि मात्र के आधार पर किसी प्रकरण का निस्तारण किया जाना न्यायानुमत नही है। उपरोक्त समस्त विश्लेषण के आधार पर इस न्यायालय के मत में मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों में यह समीचीन होगा कि परिवाद पत्र के कथानक एवं तत्सम्बन्धी प्रलेखीय साक्ष्य में

विसंगति की स्पष्टता/निराकरण हेतु प्रकरण के परिवादी को एक अवसर दिया जाए।

उपरोक्त आधार पर इस न्यायालय के मत में प्रकरण में प्रस्तुत की गयी निगरानी स्वीकार किये जाने योग्य है ।

<u>आदेश</u>

निगरानीकर्ता द्वारा प्रस्तुत दाण्डिक निगरानी स्वीकार की जाती है। विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 01.12.2025 अपास्त किया जाता है।

योग्य विचारण न्यायालय से अपेक्षा की जाती है कि वह इस निर्णय के प्रकाश में परिवादी को विसंगति निवारण का अवसर प्रदान करते हुये पुनः नवीन एवं मुखरित आदेश पारित करे।

आहूत पत्रावली विद्वान विचारण न्यायालय को इस निर्णय की एक प्रति के साथ अविलम्ब वापस प्रेषित की जाये।

वर्तमान पत्रावली बाद आवश्यक कार्यवाही नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

ह0/–

(विराट कुमार श्रीवास्तव)
अपर सत्र न्यायाधीश,
दिनांक– 05.06.2026 न्यायालय संख्या–05, आगरा
J.O. Code-UP01728

निर्णय मेरे द्वारा आज हस्ताक्षरित व दिनांकित करके खुले न्यायालय में सुनाया गया।

ह0/–

(विराट कुमार श्रीवास्तव)
अपर सत्र न्यायाधीश,
दिनांक– 05.06.2026 न्यायालय संख्या–05, आगरा
J.O. Code-UP01728